

न्यूज़ टुडे

जर्मनी द्वारा भारत-प्रशांत नीतिगत दिशा—निर्देशों (Indo-Pacific policy guidelines) की घोषणा की गई

- जर्मनी भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region; IPR) से संबंधित रणनीति को औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने वाला दूसरा (फ्रांस के पश्चात) यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। इसके प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं:

➤ IPR में समुद्री सुरक्षा सहयोग, मानवाधिकार और आर्थिक भागीदारी के विविधकरण को समर्पित किया गया है।
➤ नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था (rules-based world order) को विकृत करने वाले चीनी व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भित किया गया है।

- IPR प्रस्तुत: प्रशांत और हिंद दोनों महासागरों के संगम को संदर्भित करता है, जो दक्षिण-पूर्वी एशिया में अंतर्संयोजित (interconnect) हो जाते हैं।

○ IPR का महत्व

➤ भौगोलिक संरचना: इसमें विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश (चीन), सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र (भारत) और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मुस्लिम-बहुल देश (इंडोनेशिया) शामिल है।
➤ आर्थिक संरचना: विश्व का लगभग 25 प्रतिशत समुद्री व्यापार, मलका जलसंधि के माध्यम से संपन्न होता है। साथ ही, विश्व का दो-तिहाई कंटेनर व्यापार भी इस क्षेत्र से किया जाता है।
➤ सैन्य दृष्टि से: IPR में अनेक ऐसे सामरिक महत्व के विवादित क्षेत्र या बिंदु हैं, जिनके संबंध में सैन्य संघर्ष की संभावना सदैव बनी रहती है।

- बढ़ते चीनी प्रभुत्व तथा इस क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति में सापेक्षिक शिशावट के कारण IPR के सामरिक महत्व को बढ़ावा प्राप्त हुआ है।

- भारत ने सागर (SAGAR) (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) नामक एक अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यह अवधारणा, ऐसे IPR के निर्माण पर बल देती है, जो स्वतंत्र, खुला और समावेशी हो तथा जो सहकारी एवं सहयोगी नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप हो।



भारत और बांग्लादेश द्वारा स्थलरुद्ध (landlocked) पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्रों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने हेतु नई पहल प्रारंभ की गई है

- हाल ही में, गुमती नदी पर संचालित होने वाले प्रोटोकॉल रूट [दाउरकंडी (बांग्लादेश)-सोनभुरा (त्रिपुरा) अंतर्देशीय जलमार्ग] के परिचालन को आरंभ किया गया है।

➤ इस मार्ग को अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल (Protocol for Inland Water Transit & Trade: PIWTT) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

- दोनों देशों के मध्य अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क स्थापित करने (विशेष रूप से भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ) तथा द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए भारत और बांग्लादेश द्वारा वर्ष 1972 में PIWTT पर हस्ताक्षर किए गए थे।

➤ मई 2020 में, दोनों देशों ने नए मार्गों को शामिल करने और नए पोर्ट्स ऑफ कॉल (एक पोत के लिए मध्यवर्ती स्टॉप) की घोषणा के साथ PIWTT के परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

○ प्रोटोकॉल का महत्व

➤ स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर हेतु व्यवहार्य पारगमन से इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और समुद्रिकों द्वारा बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी।

❖ सीमित भूमि आधारित कनेक्टिविटी (चिकन नेक कॉरिडोर) से संबंधित सामरिक चिंताओं को कम करने में सहयोग प्राप्त होगा।

➤ इन क्षेत्रों तक परिवहन का एक वहनीय, तीव्रतर, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल साधन उपलब्ध होगा।

➤ जलमार्गों के समीप अधिवासित समुदायों हेतु परिवहन लागत में कमी होगी और बाजार तक पहुंच से उनको उपज का बेहतर मूल्य भी प्राप्त होगा।

➤ सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन के नवीन मार्ग सृजित होंगे तथा पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघों की बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी।

- वर्ष 2019 में, स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने के लिए बांग्लादेश के साथ चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर समझौते को भी अंतिम रूप प्रदान किया गया था।

बिम्स्टेक चार्टर को उसके सृजन के 23 वर्ष पश्चात अंतिम रूप प्रदान किया गया

- वे अंफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC) चार्टर को BIMSTEC संविलाय द्वारा तैयार किया गया है।

➤ एक समर्पित चार्टर के अभाव में, BIMSTEC का संचालन वर्ष 1997 के बैंकॉक घोषणा-पत्र के आधार पर किया जा रहा है।

- चार्टर से अपेक्षित है कि यह सहयोग संबंधी दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिमाणित करेगा तथा संस्थागत संरचना एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निरूपित करेगा।

○ भारत के लिए महत्व:

➤ यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East policy) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के प्रयासों को गति प्रदान करेगा।

➤ BIMSTEC राष्ट्रों के साथ आर्थिक संलग्नता को सुदृढ़ करके इन देशों में चीनी भ्रातावार को सीमित करने में सहायता करेगा।

➤ यह देश के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास के एक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायता प्रदान करेगा।

- BIMSTEC को वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। इसमें दक्षिण एशिया (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका) तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया (म्यांमार एवं थाईलैंड) के देश शामिल हैं।

- सहयोग के लिए 14 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं तथा प्रत्येक देश द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है।

➤ भारत वस्तुतः चार क्षेत्रों में अग्रणी देश रहा है, उदाहरण के लिए आतंकवाद-रोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध उपाय, परिवहन एवं संचार, पर्यटन व पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन।

अरबों वर्ष पूर्व घटित ब्लैक होल घटना से संबंधित तथ्य

- वर्ष 2019 में, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों से प्राप्त संकेतों का पता लगाया गया था, जिन्हें GW190521 नाम दिया गया है। ये तरंगे अरबों वर्ष पूर्व दो ब्लैक होल्स के मध्य हुए टकराव से उत्पन्न हुई थीं।

➤ इसकी सहायता से दोनों ब्लैक होल का भार (Weight) ज्ञात किया गया है, जिसके अनुसार इन दोनों ब्लैक होल का द्रव्यमान क्रमशः 85 सौर द्रव्यमान (solar masses) और 66 सौर द्रव्यमान था। ज्ञातव्य है कि एक सौर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है।

➤ गुरुत्वाकर्षण तरंगे अद्वय तरंगे होती हैं, जो निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं:


- ❖ जब किसी तारे का सुपरनोवा में विस्फोट होता है;
- ❖ जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं;
- ❖ जब दो ब्लैक होल का विलय होता है तथा जब खगोलीय पिंड अत्यधिक तीव्र गति से गतिमान होते हैं।

- एक ब्लैक होल का द्रव्यमान, इनके विकास से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को निर्खल दिखाता है। पारंपरिक ज्ञान के अनुसार 65 से 120 सौर द्रव्यमान वाले तारे ब्लैक होल का सृजन नहीं कर सकते।

➤ इस परास के तारे अपने जीवनकाल के अंत में किसी ब्लैक होल में विलीन होने की बजाय विस्फोट के द्वारा स्वयं को विस्थित कर लेते हैं।

- शोधकारों का मानना है कि 85-सौर-द्रव्यमान का ब्लैक होल किसी संकुचित होते हुए तारे के परिणामस्वरूप सृजित नहीं हुआ था, बल्कि यह विगत विलय (एक ब्लैक होल का दूसरे में विलय) का परिणाम था।

- अधिकतर ब्लैक होल तारकीय (Stellar) (जिनका द्रव्यमान कुछ एक से दस सौर द्रव्यमान के मध्य होता है) या विशालकाय (Supermassive) (जिनका द्रव्यमान लाखों से अरबों सौर द्रव्यमान के मध्य होता है) होते हैं।



भारत द्वारा स्वैच्छिक रूप से 'लोगों की समन्वित सीमा पार आवाजाही' पर G-20 सिद्धांत प्रस्तावित किए गए (G-20 Principles on Coordinated Cross-Border Movement of People)

- इन्हें G-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में सीमा-पार आवाजाही पर ध्यान देने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
 - इन सिद्धांतों के घटक निम्नलिखित 3 के मानकीकरण को शामिल करते हैं यथा:
 - परीक्षण प्रक्रियाएं तथा परीक्षण के परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता।
 - क्वारंटाइन प्रक्रिया।
 - आवाजाही और पारगमन प्रोटोकॉल।
 - इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने विश्व भर की सरकारों से आह्वान किया कि उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेशी छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी और फँसे हुए नाविकों (seafarers) को उनके देश तक पहुँचाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
 - वर्ष 2019 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या 175 लाख थी। यह आंकड़ा भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के एक अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत करता है।



अन्य सुर्खियाँ

अमेरिका—भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (US-ISPF) का तीसरा शिखर सम्मेलन संपन्न (US-India 2020 Summit of US-India Strategic Partnership Forum (US-ISPF))	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। ○ इस सम्मेलन के अंतर्गत भारतीय गैस बाजार में उपलब्ध अवसरों, व्यवसाय करने की सुगमता, तकनीकी क्षेत्र में साझा अवसर और चुनौतियों आदि पर चर्चा की गई है। ○ US-ISPF एक गैर-लाभकारी संगठन है। यह संगठन भारत और अमेरिका के मध्य साझेदारी को बनाए रखने हेतु कार्यरक है।
उच्चतम न्यायालय (SC) ने शिक्षा के माध्यम से संबंधित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इकार कर दिया है {Supreme Court (SC) refuses to stay Andhra Pradesh High Court's order on medium of instruction}	<ul style="list-style-type: none"> ○ SC ने निर्णय दिया है कि शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम {Right to Education (RTE) Act} की धारा 29(2)(f) के अनुसार, जहाँ तक व्यावहारिक हो सके, वहाँ तक शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में होना चाहिए। ○ ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश (AP) सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से VI तक के छात्रों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। <ul style="list-style-type: none"> ➢ हालाँकि, AP उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार का यह निर्णय RTE अधिनियम के प्रावधानों को अधिकारातीत (अप्रभावी) कर देते हैं तथा यह संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-A का उल्लंघन है।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा का शुभारम्भ किया गया (Jal Shakti ministry launches Water Heroes' contest)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसका उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संदेशों को लोगों तक पहुंचाना है। ○ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी भागीदार 1 से 5 मिनट के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफल कहानी को पोस्ट करेंगे। ○ उन्हें अपने प्रशासनों को उल्लिखित करते हुए 300 शब्दों का एक लेख और कुछ तस्वीरों को भी प्रेषित करना होगा। ○ पुरस्कारों के लिए प्रत्येक माह अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। प्रत्येक चयनित प्रविष्टी को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान {Second International Indian Ocean Expedition (IIOE-2)}	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक वैश्विक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वर्ष 2015–2020 के दौरान सागर तटीय पारिस्थिकी से गहरे समुद्र तक सहयोगात्मक महासागरीय और बायूमंडलीय अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ○ यह हिंद महासागर (अर्थात् इसकी धाराओं, जलवायु पर प्रभाव व समुद्री पारिस्थितिक तंत्र) से संबंधित नई सूचनाओं के संग्रहण में सहायता प्रदान करेगा, जो भविष्य के सतत विकास और हिंद महासागर की व्यू अर्थव्यवस्था के विस्तार के आधार के रूप में कार्य करेंगी। ○ IIOE एक 6 वर्षीय प्रयास (वर्ष 1960–1965) था, जिसके तहत लगभग 12 राष्ट्रों द्वारा अनेक नई गतिविधियों को प्रारम्भ किया गया था। साथ ही इस बेसिन के समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान से संबंधित सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया गया था।
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव {Emerging Technologies Initiative (ETI)}	<ul style="list-style-type: none"> ○ ETI का उद्देश्य भारत के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित नीति विकल्पों की अनुशंसा करने में सहायता करना तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी अभियानों के नियमों एवं मानकों के विषय में वार्ता करने की क्षमता विकसित करने में सहयोग करना है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ उभरती प्रौद्योगिकियां कई मौजूदा उद्योगों को बाधित कर सकती हैं तथा उनमें रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक समता एवं वैश्विक संबंधों का महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता भी विद्यमान है। उदाहरण के लिए: कृत्रिम बुद्धिमता, ब्लॉकचेन, क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि। ○ ETI के साझेदार: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय (Office of the Principal Scientific Adviser), विदेश मंत्रालय में न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज प्रभाग (NEST Division) तथा विज्ञान नीति मंत्र (Science Policy Forum)।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, असम {Kaziranga National Park and Tiger Reserve (KNPTR), Assam}	<ul style="list-style-type: none"> ○ असम सरकार ने 3,000 हेक्टेयर (ha) से अधिक क्षेत्र को KNPTR में शामिल करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ यह बेहतर वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्षों में कमी करने में सहायता करेगा। ➢ इससे काजीरंगा से नामेरी और ओरंग राष्ट्रीय उद्यानों (दोनों राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं) के मध्य बाघों की आवाजाही में सहायता प्राप्त होगी। ○ KNPTR, उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के मध्य स्थित है। काजीरंगा विश्व में एक सींग वाले गैंडों (one-horned rhinos) की सबसे बड़ी पर्यावास स्थली है। ○ यह यूनेस्को द्वारा नामित एक विश्व विरासत स्थल भी है।
ओफियोकॉर्डेसेप्स सिनेन्सिस (Ophiocordyceps sinensis)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक कवक (fungus) है, जिसे हिमालयन वियाग्रा के रूप में भी जाना जाता है। इस कवक को अब IUCN की लाल सूची (red list) के अंतर्गत वल्लरेबल (vulnerable) प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अस्तित्व के समक्ष संकट उत्पन्न करने वाले कारक हैं— अत्यधिक कटाई, पर्यावास क्षति और जलवायु परिवर्तन। ○ यह हिमालय और तिब्बती पठार में पाया जाने वाला एक स्थानिक कैटरपिलर कवक है। <ul style="list-style-type: none"> ➢ भारत में, यह मुख्य रूप से उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में पाया जाता है। ➢ स्थानीय रूप से कीड़ा-जड़ी के रूप में जाना जाता है। ○ इसका व्यापक रूप से टॉनिक, फेफड़ों, यकृत और गुर्दे के लिए चिकित्सीय दवा तथा कामोदीपक औषधि (aphrodisiac) के रूप में उपयोग किया जाता है।